

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 मई 2013—वैशाख 19, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ-1-1-2013-1-उनसठ.—राज्य शासन, एतद्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2013 को जारी एवं अधिसूचित “मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परीक्षा (म. प्र. पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2013” में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

1. नियम 3.1 (1) की प्रथम पंक्ति में “आवेदन-पत्र” के स्थान पर “ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. नियम 3.1 (2) की प्रथम पंक्ति में “अभ्यर्थी द्वारा मण्डल को प्रेषित किये जाने वाले फार्म अर्थात् ओ. एम. आर. आवेदन-पत्र” के स्थान पर “अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है.
3. नियम 3.1 (4) में “दो माह” के स्थान पर “तीन माह” प्रतिस्थापित किया जाता है.
4. नियम 3.2 की प्रथम पंक्ति में “आवेदन-पत्र” के स्थान पर “ऑनलाइन आवेदन-पत्र” प्रतिस्थापित किया जाता है.

No. F-1-1-2013-1-LIX.—The State Government hereby makes following amendments in the “Madhya Pradesh Pre Ayurved Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules, 2013” issued and notified on 3rd April 2013.

AMENDMENT

1. In the first line of rule 3.1 (1), “online application form” is substituted for “application form”.
2. In the Second line of rule 3.1 (2), “online application form” is substituted for “O.M.R. Sheet”.
3. In the first line of rule 3.1 (4), “three months” is substituted for “two months”.
4. In the first line of rule 3.2, “online application form” is substituted for “application form”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशि खत्री, उपसचिव.